

तेरहवीं एवं चौदहवीं लोकसभा के आमचुनाव तथा मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्त्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

♦ डॉ. सुरेश सिंह भारद्वाज

6 फरवरी 2004 को लोकसभा के विघटन के बाद 14वीं लोकसभा के गठन हेतु समय से पूर्व चुनाव सम्पन्न कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 67.5 करोड़ मतदाताओं के सामने इस बार गठबंधनों की जंग थी एक ओर भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में सत्तारूढ़राजग थी तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में बना सेकुलर मोर्चा वास्तव में भाजपा को दिसम्बर 2003में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से अपने लिए अनुकूल परिस्थितियाँ दिख रही थी। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर मजबूतियों की खबरों ने देश में जो खुशनुमा माहौल बनाया उसे राजग गठबंधन व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी। इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 24 दलों के गठबंधन के सफल प्रयोग ने भाजपा में भारी आत्मविश्वास का संचार किया ऐसे में वह लोकसभा चुनाव जल्दी से जल्दी कराना चाहती थी जो यथार्थपरक राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में राजग तथा सेकुलर मोर्चा (संप्रग) को प्राप्त स्थान व मत प्रतिशत का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1 के आधार पर मुख्य पार्टियों के चुनाव परिणामों से निष्कर्ष निकलता है। कि हमारी चुनाव प्रणाली और पार्टियों के गठबंधन और बिखरावों की जटिलताएं सामने आती हैं। कांग्रेस को 1999 के मुकाबले कम वोट मिले लेकिन उसकी सीटों की संख्या 114 से बढ़कर 145 हो गई। 145 सीटें उसने इस बार 26.6 प्रतिशत वोटों से ही जीत ली जबकि 1999 में वह 28.35 प्रतिशत वोटों के बावजूद 114 सीटें ही जीत पाई थी। उसकें वोटों में तो करीब 1.5 प्रतिशत की कमी आई, फिर भी सीटों की संख्या 31 बढ़ गई। इसके विपरीत स्थिति भाजपा की रही। पार्टी इस बार 22.16 प्रतिशत वोट पाकर 138 सीटें पा सकी जबकि पिछली बार 23.75 प्रतिशत वोट पाने पर पार्टी ने 182 सीटें जीती थी। पार्टी के वोटों में 1.54 प्रतिशत की गिरावट से ही उसकी सीटों की संख्या 44 कम हो गई दोनों ही चुनावों में भाजपा वोटों के लिहाज से कांग्रेस से 4.6 प्रतिशत पीछे रही, फिर भी सीटों की संख्या में दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग रही। एक बड़ा कारण यह है कि 1999 में भाजपा से सहयोगी दलों की संख्या 2004 में कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा थी। दोनों गठबंधनों के सहयोगी दलों की तस्वीर भी इतनी ही दिलचस्प है। कांग्रेस के सहयोगियों की सीटें 1999में 34 थी जबकि इस बार उनके वोटों में 0.5 प्रतिशत कमी आई लेकिन सीटों की संख्या 71 तक पहुंच गई। दूसरी तरफ भाजपा के सहयोगियों के वोटों में मात्र 0.13 प्रतिशत कमी आई लेकिन सीटों की उनकी सीटों की संख्या 88 से घटकर 49 रह गई। वामपंथी दलों को मिले वोटों में मार्क्सवादी पार्टी के वोट 0.14 प्रतिशत ही बढ़ें लेकिन सीटें 33 से बढ़कर 43 हो गईं। भाजपा के वोटों में तो आंशिक कमी आई लेकिन सीटों की संख्या 4से बढ़कर 10 हो गई।

अपने प्रभाव वाले राज्यों के अलावा इन पार्टियों को गैर-राजग दलों के साथ सहयोग का लाभ मिला। वोटों और सीटों में वृद्धि दर्ज करने वाली पार्टिया सपा और बसपा है। सपा के वोट 0.49 प्रतिशत और सीटें 26 से बढ़कर 36 हो गईं। इसी प्रकार बसपा के वोट 1.64 प्रतिशत बढ़े और सीटें 14 से बढ़कर 19 हो गईं।

14 वीं लोकसभा का चुनाव बिना किसी मुद्दे के ही

निपट गया न नेता मुददा बन पाये न विकास न गरीबी और न कोई नारा चल गया स्थानीय मुद्दें राष्ट्रीय मुद्दों पर छाये रहें। मतदान व्यवहार के प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख तत्वों का वर्णन निम्नानुसार है—

1- भारतीय प्रजातंत्र में जातियों के राजनीतिकरण के बाद कई प्रदेशों में राजनीति कुछ जातियों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। चुनावों में खडा होने के लिए टिकट जाति के आधार पर दिया जाता है और चुनावों में इसी आधार पर प्रचार भी किया जाता है यदि विगत आम चुनावों में सभी दलों के कुल उम्मीदवार को देखा जाये तो हम यह पायेगे कि अधिकतर उम्मीदवार जाति के आधार पर ही खड़े किये गये थे। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मतदाता अपना-मत अधिकतर जाति के आधार पर ही देते हैं।

2- भारत में 40 प्रतिशत निरक्षर जनता है वे मत के महत्व को समझ नहीं पाते या अन्य संकीर्ण भावनाओं से प्रभावित होकर अपने मत का प्रयोग करते हैं। जो लोग साक्षर हैं उनका भी शैक्षणिक स्तर निम्न है। वे भी अपने मताधिकार के महत्व को समझ नहीं पाते।

3- भारतीय प्रजातंत्र में धर्म का प्रभाव भी काफी हद तक मतदान के व्यवहार को प्रभावित करती है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि धीरे-धीरे साम्प्रदायिक संगठनों और दलों का प्रभाव घटता जा रहा है।

4- क्षेत्रीय असंतुलन और क्षेत्रीयता के नाम पर जब क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को सत्ता प्राप्त हुई तब अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने-अपने राज्यों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतियोगी बन गए मद्रास, पंजाब, और उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों में ये समस्यायें निर्णायक तत्व रही हैं। 5. चुनाव बहुत सी विचाराधाराओं और दलों के बीच विकल्प के रूप में काम करते हैं। भारत में मतदान व्यवहार दलों के कार्यकर्ता और नीतियों से कम प्रभावित होता है।

6. भारतीय प्रजातंत्र में प्रायःसभी चुनावों में मतदाताओं को रूपयें पैसे का लालच देकर उनका समर्थन प्राप्त किया जाता है विशेषकर आदिम जातियों और हरिजनों के मतों को खरीदने की प्रवृत्ति देखी जाती है।

7. अन्य देशों की तुलना में भारत में राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हो पाया है। अधिक मात्रा में राजनीतिक दृष्टिकोण

से जागृत नागरिक अपने मतों का सदुपयोग सोच समझकर करते हैं। राजनीतिक में कम रूचि रखने वाले या राजनीतिक का कम ज्ञान रखने वाले मतदाता या तो मत से उदासीन रहते हैं या अपने मत का सदुपयोग करते हैं।

8. मतदान व्यवहार के सम्बन्ध में एक मुख्य समस्या है, मत नहीं देना। अभी तक हुए 14 आम चुनावों में 57 प्रतिशत के आसपास मतदाता मतदान में भाग लेते रहे हैं। लोकसभा में पड़े मतों का प्रतिशत ग्राफ-1 से स्पष्ट है कि 1967, 1984, 1989, 1998, आम चुनावों में ही मतदान का प्रतिशत 60 प्रतिशत से ऊपर रहा अधिकांश क्षेत्रों में बहुसंख्यक मतदाता मतदान में अनुपस्थित ही रहते हैं।

vke puko dh lel; k, a अभी तक के आम चुनावों के विश्लेषण से यह पता लगता है कि गंभीर समस्याओं ने उनको गलत ढंग से प्रभावित किया है। जब तक इन समस्याओं का निदान नहीं होगा तब तक भारतीय चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। इन समस्याओं में निम्नलिखित उल्लेखनीय है -

1) भारत में साधरण बहुमत के आधार पर प्रत्याशियों को विजयी घोषित किया जाता है। इस पद्धति में प्रायः 50 प्रतिशत से कम मत पाने वाले प्रत्याशी भी विजयी हो जाते हैं। बहुदलीय प्रणाली का विकास होने के साथ-साथ देश में कई छोटे-छोटे राजनीतिक दल विकसित हो गए हैं। ऐसे में बहुमत प्राप्त विजयी प्रत्याशी विजयी होते हुए भी बहुसंख्यक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

2) चुनाव प्रक्रिया का द्वितीय दोष है धन का गलत प्रयोग। यद्यपि देश में चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा व्यय किए जाने वाले धन की सीमा निर्धारित है परन्तु चुनाव पश्चात लेखे का कड़ाई से निरीक्षण न किए जाने के कारण चुनाव में धन का निश्चित मात्रा से अधिक प्रयोग किया जाता है।

3) भारत में यों तो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं है। नियमानुसार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव संबंधी कार्यों के परिप्रेक्ष्य में देश का समस्त प्रशासकीय तंत्र निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन हो जाता है परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। सत्तारूढ़ दलों द्वारा भी प्रशासकीय तंत्र का खुलकर दुरुपयोग किया जाता है। इसका सीधा प्रभाव चुनाव की निष्पक्षता पर पड़ता है।

4) हिंसा तथा बल प्रयोग द्वारा अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करवाने, तथा मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रायः चुनावों में प्रयोग हो रही हिंसा के कारण इसकी निष्पक्षता प्रभावित होती है। 5) भारत में चुनावों में मत देना ऐच्छिक कर्तव्य है। संविधान में भी चुनावों में मत देने की कोई बाध्यता भारत के नागरिकों पर अधिरोपित नहीं की गई है। भारत का मतदाता भी मतदान के मुद्दे पर जागरूक नहीं है। मतदाताओं की उदासीनता का प्रभाव चुनाव निष्पक्षता पर पड़ता है। 6) भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा विजयी को मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। निर्वाचन आयोग भी इस विषय पर कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है।

lek/ku ds fy, l pko &

1) विदेशी और स्वदेशी धन के भारतीय चुनाव में प्रभाव को रोकना आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने कुछ कानून बनाये हैं। लेकिन केवल, बनाने से ही इनका प्रभाव नहीं हो सकता। इनके लिए सरकार को अधिक सक्रिय होना पड़ेगा। कम्पनियों द्वारा दिये गये चंदे की राशि को ही केवल प्रतिबन्धित नहीं

करना होगा, बल्कि काले धन पर रोक लगाकर निजी उद्योगपतियों के छिपे धन पर रोक लगानी होगी। इस प्रकार विदेशी संस्थाओं, संगठनों या देश के अंदर उनके माध्यम के रूप में काम करती हुई संस्थाओं पर कड़ी निगाह रखनी होगी।

2) चुनाव में भ्रष्टाचार और बेईमानी की रोकथाम जरूरी है। यहां भी केवल कानूनी प्रतिबंधों से काम नहीं चलेगा। कानून से अड़ि क जनता और शासकों के उच्च चारित्रिक बल की आवश्यकता है। जनता को निर्भय होना होगा और मंत्रियों तथा प्रशासकों को ईमानदार। यह ठीक है कि हर प्रजातंत्रिक देश में चुनाव में भ्रष्टाचार और अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत में ये चुनावों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने लगे हैं। सरकारी यंत्र में दुरुपयोग के बारे में अलोचना इस स्तर पर पहुंच गयी है कि चुनाव आयोग को भी उसमें घसीट लिया जाता है।

3) केवल कानून बनाकर ही चुनाव में सुधार नहीं लाया जा सकता। इसके लिए जनता में जागरण और उच्च चारित्रिक बल की आवश्यकता है। देश में साक्षरता का प्रसार कर आम जनता के ज्ञान में वृद्धि लानी होगी जिससे वे मतों के राजनीतिक महत्व को समझ सकें और केवल साक्षरता से ही नहीं, बल्कि समाचार-पत्रों, रेडियों, प्रचार आदि माध्यमों से जनता को मतों के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। बार-बार चुनाव में भाग लेने से जनता स्वयं ही प्रशिक्षित और सजग हो रही है, फिर भी इस दिशा में शासन की ओर से सक्रिय प्रयास जरूरी है। केवल ईमानदारी और कर्तव्यपरायण जनता ही चुनाव में भ्रष्ट और अनुचित तरीकों के प्रयोग को रोक सकती है।

4) आम चुनाव में जाति के कुप्रभाव को हमने देखा है। जाति आज की राजनीति में प्रमुख निर्धारक तत्व हो गयी है और इसने राजनीतिक वातावरण को दूषित कर दिया है। इसके कुप्रभाव को जनता के राजनीतिक प्रशिक्षण से दूर किया जा सकता है।

5) मतदान से उदासीनता की समस्या भी कम गंभीर नहीं है। अड़ि क से अधिक मतदाता चुनाव में भाग लें, इसके लिए भी प्रयास करने होंगे। इसके लिए दो मुख्य तरीकों का सहारा लिया जा सकता है पहला मतदान की प्रक्रिया में मतदान के मूल्यों में जनता का विश्वास जगाना होगा। जब तक जनता यह महसूस नहीं करेगी कि उसके एक-एक मत का महत्व है और अपने मत का समुचित प्रयोग कर वह देश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है, तब तक मतदान में भाग लेने से वह उदासीन ही रहेगी। दूसरा, जनता को अपने राजनीतिक दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना होगा। उसे अपने राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों का विभिन्न तरीकों से परिचय कराना होगा।


भारतीय आम चुनावों में काफी त्रुटियां देखी गयी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी चुनाव व्यवस्था पूर्णतया दोष पूर्ण है। जो भी त्रुटियां पायी जाती हैं वे अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी देखने को मिलती हैं। सच पूछा जाये तो भारतीय आम चुनाव काफी सफल रहे हैं। उन्हें निष्पक्ष चुनाव कहा जा सकता है। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या भी उत्साहवर्द्धक है। फिर भी इन चुनावों को अधिक न्यायोचित तथा व्यापक बनाया जा सकता है। यह तभी संभव है जब जनता में राजनीतिक जागरूकता आ जाये, सरकार की ओर से बनाये गये कानूनों का कड़ाई से पालन हो और राजनीतिक दल ईमानदारी से चुनाव में भाग लें।

तालिका-1

पुनर्निर्वाचन 1999 से 2004 तक लोकसभा में, विभिन्न दलों की सीटों का प्रतिशत

दल/संघ	लोकसभा 2004	लोकसभा 1999
राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, द्रमुक, पी.एम.के.एम.डी.एम.के. तेलंगाना राष्ट्र समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी, पी.डी.पी.	145+77=222 (26.69%+9.13%)=35.82%	114+23=137 (28.42%+6.28%)=(34.7%)
शिवसेना, जनता दल (यू) शिरोमणि अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस पार्टी अन्नाद्रमुक, तेलगू देशम पार्टी	138+51=189 (22.16%+13.75%)=35.91%	182+120=302 (23.70%+17.6%)=41.3%
(साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी जनता दल (सेक्युलर) आर.एस.पी., राष्ट्रीय लोकदल, असमगण परिषद	136 (27.58) = 27.58	104(24%)=24%

ग्राफ-1



संदर्भ सूची

- The Times of India, 21 Sept. 1999 p.5
- Now people vote in the parliamentary elections, as if they are choosing a state government. - Mark Tully, Outlook 27 Sept. 1999 p.25
- 'Opinion exit poll way off target' The Hindustan Times, October 11, 1999 p. 10
- The Economic Times Oct. 12, 1999
- कुलदीप नैयर: देश के मतदाता सांझा सरकार के पक्षधर, नवज्योति 13 अक्टोबर 1999
- The B.J.P's success in this election is mainly due to its coalition, strateg.v- K.N. Panikkar ; Reasons for success, The Hindustan Times, Oct.14, 1999 p. 13
- डॉ. जैन, पुखराज, भारतीय शासन एवं राजनीति, पृष्ठ 744-762 साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
- डॉ. सिंह बीरकेश्वर प्रसाद, भारतीय शासन एवं राजनीति, पृष्ठ 674-717 ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली
- मिश्र एस. एन., लोकप्रशासन के बदलते आयाम, पृष्ठ 129-150, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली एवं कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली